



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी-ब्लॉक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या F78719 सी-१/एन/एन.ओ.सी.-६८६/२०२० 5 दिनांक 12-11

सेवा में,

मेरे

गौरसन्स हाईटेक इनफ्रासट्रक्चर प्रा. लि.

जी.एच.-०१, सेक्टर-४,

प्रेटर नोएडा।

विषय : पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से /नई इकाई की स्थापना हेतु/ कार्यरत इकाई की उत्पादन क्षमता में
विस्तार /संयंत्रों के नवीनीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक..... का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

1. अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है :-

(क) स्थल :

प्लॉट नं.- जी.एच.-०१, सेक्टर-४, प्रेटर नोएडा

(ख) उत्पादन :

आव्यासीय वज्रनेत्री की स्थापना एवं निर्माण

For Sava Buildcon Consortium Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

(ग) मुख्य कच्चे माल :
बिल्डिंग मटेरियल
.....


(घ) औद्योगिक उत्प्रावह की मात्रा :
शून्य
.....

(ङ) प्रयुक्त ईंधन :
डी.डी. सेट हेतु डीजल
.....

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

- उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रावह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।
- उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई ने उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाए। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरुद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

For Sava Builders Consortium Pvt. Ltd.



Authorised Signatory

घरेलू उत्प्रेषण, जिसकी मात्रा से अधिक नहीं होगी। सॉफ्टक टैंक एवं सोक पिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत कर निस्तारित किया जाए।

6. प्रदूषण नियन्त्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिये दिये गए आदेश की प्रति इस कार्यालय में दिनांक तक अवश्य प्रस्तुत की जाए।

- 9- मै० गौरसन्स हाईटेक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा० लि०, प्लॉट नं०-०१, सेक्टर-४, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर द्वारा १२४.३७ एकड़ क्षेत्रफल भूमि पर आवासीय परियोजना का निर्माण किया जाये।
- 10- संस्था द्वारा प्रस्तावानुसार ५५६० केलडी उत्प्रेषण का शुद्धिकरण ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण केएसटीपी के माध्यम से किया जाये एवं शुद्धिकरण के उपरान्त १५०० केलडी उत्प्रेषण को परिसर में हार्डकल्चर एवं कूलिंग कार्यों हेतु रिसाइकिल किया जाये।
- 11- ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा एसटीपी स्थापित किये जाने की स्थिति में संस्था द्वारा परियोजना में आवासीय गतिविधियों प्रारम्भ होने से पूर्व स्वयं एसटीपी का निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।
- 12- शुद्धिकरण व्यवस्थाओं हेतु अलग से डीजीसेट स्थापित करें तथा उच्च हेतु अलग से विद्युत मीटर स्थापित करें।
- 13- सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी/प्राइवेट एजेन्सी के माध्यम से किया जाये एवं वर्मीकल्चर संस्था कैम्पस में करने का प्रस्ताव भी प्रस्तुत करें।
- 14- समस्त प्रस्तावित डी०जी०सेट पर ध्वनि रोधक व्यवस्थाओं के साथ-साथ बोर्ड मानकों के अनुसार पर्याप्त ऊँचाई की धिमनी भी स्थापित की जाये।
- 15- संस्था प्रस्तावानुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था स्थापित करें।
- 16- संस्था नियमानुसार कम से कम ३३ प्रतिशत कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल का हरित पट्टिका के रूप में विकसित करें।
- 17- संस्था को यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जल अधिनियम, १९७४ एवं वायु अधिनियम, १९८१ के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।
- 18- संस्था द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार/स्टेट इन्वायरमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट अथॉरिटी से पर्यावरणीय क्लीरेंस प्राप्त किया जाये।
- 19- संस्था को निर्गत बैंक गारण्टी पत्रांक एफ ७७००३/सी-१/एन/एन०ओ०सी०-६८६/३/२०१० दिनांक-१०.१२.१० का अक्षरशः अनुपालन करा सुनिश्चित करें, अनुपालन न करने की दशा में संस्था द्वारा प्रेषित बैंक गारण्टी बोर्ड के पक्ष में अवमुक्त की जा सकती है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं संस्था के जिम्मेदार पदाधिकारियों की होगी।

For Sava Guidcon Consortium Pvt. Ltd.


Authorized Signatory

करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाय अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाए अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जाएगी।

भवदीय

सदस्य सचिव

सेक्टर

पृष्ठांकन सं.


/एन. ओ. सी.

तद दिनांक

प्रतिलिपि :

1. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र :
गौतमबुद्धनगर
2. उपकर अधिकारी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड :
नोएडा
4.

For Sava Buildcon Consortium Pvt. Ltd.


Authorised Signatory

मुख्य पर्यावरण अधिकारी